<u>राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर</u>

<u>शुद्धि पत्र संख्या –5/2013–14</u>

दिनांक : 07.08.2013

क. विज्ञापन संख्या : 04 एवं 05/2013–2014 दिनांक : 02.08.2013 के अन्तर्गत **वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड– II व प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) माध्यमिक शिक्षा विभाग** के संबंध में यह अधिसूचित किया जाता है कि:–

(1) वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड–II के विज्ञापन के अन्तर्गत पद एवं विभाग के नाम के आगे अंकित अभिव्यक्ति **''<u>उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए</u>''** को विलोपित समझा जाए।

(2) वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड–II के विज्ञापन के अन्तर्गत पदों के वेतनमान की **ग्रेड पे** रुपये 3600/– के स्थान पर **रुपये 4200/–** पढ़ी जाए।

(3) प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के विज्ञापन के अन्तर्गत पदों के वेतनमान की **ग्रेड पे** (रुपये 4200/–) के स्थान पर **रुपये 4800/–** पढ़ी जाए।

उक्त विज्ञापन की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

ख. विज्ञापन संख्या : 6/2013–14 दिनांक 05.08.2013 के अन्तर्गत **सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी, अभियोजन विभाग** के संबंध में यह अधिसूचित किया जाता है कि:–

अभियोजन निदेशालय के पत्र दिनांक 06.08.2013 के द्वारा प्रेषित सूचना अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस. बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 2142/2013 में दिनांक 31.05.2013 को दिए गए आदेश की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा आयु सीमा व परीक्षा प्रक्रिया के संशोधनाधीन होने के कारण सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी के रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु आयोग द्वारा जारी उक्त विज्ञापन को स्थगित किया जाता है। इस संबंध में अग्रिम सूचना राज्य सरकार की निर्धारित कार्यवाही के उपरान्त यथासमय जारी कर दी जाएगी ।

(डॉ. के.के. पाठक)
सचिव